

भारत सरकार Government of India
परमाणु ऊर्जा विभाग Department of Atomic Energy
नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र Nuclear Fuel Complex

ईसीआईएल डाक ECIL Post
हैदराबाद Hyderabad 500062

सं. Ref: NFC/CHSS/11/2025/866

दिनांक Date: 13.11.2025

परिपत्र / CIRCULAR

विषय Sub: आश्रित लाभार्थियों (संतान एवं माता-पिता/सास-ससुर) हेतु सीएचएसएस सुविधा का नवीनीकरण – के संबंध में। Renewal of CHSS facility in respect of Dependent beneficiaries (Children and parents/parents-in-law) – Reg.

सीएचएसएस नियमों के अनुसार, प्रत्येक सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारी, जो सीएचएसएस योजना का सदस्य है, सीएचएसएस सुविधाओं को जारी रखने के उद्देश्य से अपने सीएचएसएस कार्ड का नवीनीकरण करते समय अपने आश्रित माता-पिता, सास-ससुर, 18 से 25 वर्ष की आयु के बच्चों और अन्य आश्रितों की आय और निवास के संबंध में एक घोषणा अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करनी होगी। In accordance with the CHSS Rules, every serving and retired employee, who is a member of CHSS scheme has to invariably submit a declaration regarding income and residence of their dependent parents, parents-in-law, children aged between 18 and 25 years of age and other dependents while renewing their CHSS cards for the purpose of continuation of CHSS facilities.

2. तदनुसार, जिन कर्मचारियों ने अपने बच्चों, माता-पिता/सास-ससुर और अन्य आश्रित संबंधियों को पंजीकृत करवाया है, और जिनके कार्ड की वैधता 31.12.2025 तक समाप्त होने वाली है, उन्हें CHSS-HIMS पोर्टल के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत करना होगा, जो वर्तमान में एनएफसी इंट्रानेट और इंटरनेट दोनों पर उपलब्ध है। Accordingly, employees who have registered their children, parents/parents-in-law and other dependent relatives, the validity of whose cards are due to expire by **31.12.2025** shall submit the applications in CHSS- HIMS portal, which is presently available on both NFC Intranet and internet.

3. **एनएफसी इंट्रानेट के माध्यम से आवेदन करने के लिए For applying through NFC Intranet:**

सीएचएसएस लाभार्थी पोर्टल पर लॉगइन कर सकते हैं। CHSS beneficiaries shall logon to <http://beneficiary.nfc.gov.in>.

इंटरनेट के माध्यम से आवेदन करने हेतु For applying through Internet:

सीएचएसएस लाभार्थी अपना आवेदन ऑनलाइन जमा करने के लिए <https://amruthyd.in> पर भी लॉगिन कर सकते हैं। CHSS beneficiaries may also login to <https://amruthyd.in> for submitting their application online.

उक्त पोर्टल में लॉगिन करने के लिए क्रेडेंशियल इस प्रकार हैं

Credentials to login the said portal are as follows:

प्रयोक्ता का नाम / यूजर आईडी User name/ user ID	सीएचएसएस संख्या के पहले 05 (पांच) अंक First 05 (five) digits of CHSS number
पासवर्ड Password	मुख्य लाभार्थी की जन्मतिथि Date of birth of prime beneficiary In DDMMYYYY format

- नोट Note: 1) इंटरनेट सिस्टम को कैप्चा (एक अतिरिक्त सुरक्षा सुविधा) के साथ डिज़ाइन किया गया है। इंटरनेट पर प्राप्त आवेदनों को संसाधित करने में समय की देरी (अधिकतम कुछ घंटे) हो सकती है। Internet system is designed with captcha (an additional security feature). A time delay (max few hours) may happen to process applications received on internet.
- 2) यह पोर्टल वर्तमान में किसी भी कार्य दिवस पर केवल 0900 बजे से 2000 बजे के बीच उपयोग के लिए उपलब्ध होगा। This portal will be presently available for use between 0900 Hrs to 2000 Hrs only on any working days.

4. उपरोक्त मॉड्यूल का उपयोग करते समय किसी भी सहायता/सहायता के लिए, सीएचएसएस लाभार्थियों से अनुरोध है कि वे 040-27183245 पर हेल्पडेस्क से संपर्क करें। उपरोक्त के अलावा, सीएचएसएस अनुभाग, संजीवनी के पास एक हेल्पडेस्क स्थापित किया गया है, ताकि सीएचएस लाभार्थियों को ऑनलाइन आवेदन जमा करने में मदद मिल सके। लाभार्थी अपने आश्रितों के संबंध में अपेक्षित दस्तावेज (सॉफ्ट/हार्ड) HIMS पोर्टल में प्रस्तुत/अपलोड करने के लिए लाएंगे। कृपया ध्यान दें कि सीएचएसएस अनुभाग द्वारा नवीनीकरण के लिए कोई भी भौतिक आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। In case of any assistance/support while using the above module, CHSS beneficiaries are requested to contact helpdesk on 040-27183245. In addition to the above, a helpdesk is established near CHSS Section, Sanjivini, to help CHSS beneficiaries to submit the application online. Beneficiaries shall bring the requisite documents (soft/hard) in respect of their dependents for submission /upload in to HIMS portal. **It may please be noted that No Physical application for renewal will be entertained by CHSS section.**

5. सीएचएसएस लाभार्थी (स्वयं और आश्रित) जिनकी सीएचएसएस कार्ड की वैधता 31.12.2025 तक समाप्त हो रही है, 30.11.2025 को या उससे पहले उक्त पोर्टल का उपयोग करके आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड कर अपने सीएचएसएस कार्ड के नवीनीकरण के लिए आवेदन करें। यह सीएचएसएस अनुभाग को समय पर नए कार्ड प्रदान करने और योजना के तहत निर्बाध चिकित्सा सेवाएं सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। CHSS beneficiaries (self and dependents) whose CHSS card validity is getting expired by **31.12.2025** shall apply renewal their CHSS cards using the said portal by uploading the requisite documents **on or before 30.11.2025**. This will enable CHSS section to provide new cards in time and also to ensure uninterrupted medical services under the scheme.

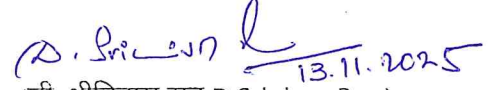
6. माता-पिता/सास-ससुर और बच्चों के सीएचएसएस कार्ड के नवीनीकरण के लिए आवेदन करते समय, निम्नलिखित दस्तावेजों को HIMS-II सॉफ्टवेयर में अपलोड करने की आवश्यकता है: While applying for renewal of parents/parents-in-law and children CHSS cards, the following documents need to be uploaded in HIMS-II software:

माता-पिता/सास-ससुर parents/parents-in-law	-	(i) माता-पिता / सास-ससुर दोनों के लिए आयकर निर्धारण वर्ष 2025-26 के लिए आईटीआर पावती और ITR acknowledgement for the Assessment year 2025-26 of both Parents / Parents-in-law & (ii) स्थानीय पते का प्रमाण Local Address Proof (*)
संतान / Children	18 वर्ष की आयु तक Up to Age 18 Yrs	(i) स्थानीय पते का प्रमाण Local Address Proof (*)
	18 वर्ष से अधिक (अध्ययनरत) Above 18 Yrs (Studying)	(i) कॉलेज का वास्तविक प्रमाण पत्र और Bonafide certificate of College & (ii) स्थानीय पते का प्रमाण Local Address Proof(*)
	18 वर्ष से अधिक (अध्ययनरत नहीं है) Above 18 Yrs (Not Studying)	(i) वर्ष 2025-26 के लिए आईटीआर पावती और हलफनामा ITR acknowledgement for the Assessment year 2025-26& Affidavit, (ii) स्थानीय पते का प्रमाण Local Address Proof(*)

* मुख्य लाभार्थी के साथ माता-पिता / बच्चों के निवास को स्थापित करने के लिए, इन दस्तावेजों में से किसी को भी प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करना आवश्यक है - आधार / पासपोर्ट / मतदाता आईडी / राष्ट्रीयकृत बैंक पासबुक / राशन कार्ड की प्रति। *In order to establish the residency of parents / children with the prime beneficiary, it is necessary to submit any of the said documents as a proof - Aadhar / Passport / Voter ID / Copy of Nationalized Bank Passbook / Ration Card.*

7. सीएचएसएस मैनुअल के नियम संख्या 4.2.2 के अनुसार संबंधित कर्मचारी की यह जिम्मेदारी होगी कि जैसे ही परिवार का कोई भी सदस्य योजना के लाभों के लिए अपात्र हो जाता है सीएचएसएस, एनएफसी को सूचित करे और कार्ड को सरेण्डर करे। कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत आवेदन को अंतिम माना जाएगा और यदि विवरण गलत पाया जाता है, तो लाभार्थी को दिए गए उपचार पर पूरी लागत को सक्षम प्राधिकारी द्वारा वांछित अवधि के लिए सीएचएसएस कार्ड रद्द करने के अलावा अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी बनाया जाएगा। As per rule No.4.2.2. of CHSS manual, it shall be the responsibility of the employee concerned to notify the CHSS, NFC as soon as any member of the family becomes ineligible for the benefits of the scheme and to surrender the cards. The application submitted by the employee will be treated as final and in case the details found to be false, the entire cost on the treatment rendered to the beneficiary will be made liable for disciplinary action apart from cancellation of CHSS cards for a period as desired by the competent authority.

8. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है। This issues with the approval of Competent Authority, NFC.


(डी. श्रीनिवास राव D.Srinivas Rao)
प्रशासनिक अधिकारी Administrative Officer-III

सभी संयंत्र/अनुभाग All Plants / Sections
सभी सूचनापट्ट All Notice Boards.

प्रति Copy to:

1. मुख्य कार्यपालक, नाईस CE, NFC: सादर सूचनार्थ for kind information please
2. सभी उप मुख्य कार्यपालक/महा.प्रबंध/क्षे.नि., क्रमनिर्देश/उप महा.प्रबंध/प्रधान/वरि.प्रबंध/उप प्रबंध/कार्या.प्रभारी DCEs/GMs/RD, HRPSU/DGMs/Heads/SMs/Mgrs/DMs/OICs
3. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक (सीएचसी, ओएचसी, जेडसी(पी) वकोटा) / चिकित्सा अधीक्षक (ओएचसी)/ (सीएचसी) सीएचएसएस / मुख्य चिकित्सा अधिकारी/ चिकित्सा अधिकारीगण, एनएफसी CMS (CHC, OHC, ZC(P) & Kota) / MS (OHC) / (CHC) & CHSS) /CMO/Medical Officer's, NFC
4. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी ,नाईस CAO, NFC / संयुक्त नियंत्रक (वित्त व लेखा), एनएफसी /JC (F&A), NFC
5. उप महानिरीक्षक ,पऊवि मुख्यालय/समादेश ,कें.औ.सु.ब DIG, DAE Headquarters/Commandant, CISF
6. महासचिव, नाईस औ.का.संघ/ General Secretary, NFCIWU
7. अध्यक्ष ,नाईसपर्य.कर्म.संघ/नाईसवैज्ञा.सहा.संघ/ नाईस अधिकारी संघ President, NUFLOSSA/NFCSAA/ NUFCSA

सूचनार्थ प्रति / Copy also for information to:

1. AO-III, AMD, Hyderabad
2. प्रशासनिक अधिकारी, टीआईएफआर, हैदराबाद / Administrative Officer, TIFR, Hyderabad
3. प्रभारी वैज्ञानिक, सीसीसीएम, हैदराबाद / Scientist-in-Charge, CCCM, Hyderabad
4. प्रमुख, आरसी, जोनाकी, ब्रिट, हैदराबाद / Head, RC, Jonaki, BRIT, Hyderabad
5. प्राचार्य, आईसीएस-I/II, हैदराबाद / Principal, AECS-I/AECS-II, Hyderabad
6. प्रभारी अधिकारी, एनपीसीआईएल, ईसीआईएलकैंपस, हैदराबाद
Officer-in-Charge, NPCIL, ECIL Campus, Hyderabad
7. प्रबन्धक-क्रय, आरपीयू (एम) शहरी कार्यालय, नाईसपरिसर, हैदराबाद
Manager-Purchase, RPU (M) City Office, NFC Premises, Hyderabad
8. सेवानिवृत्त कर्मचारी / Retired Employees